इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-08.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र. (1)	सेवाएं (2)	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
8.1	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना	जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.